समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

पत्रांक-............/शस्त्र

प्रेषक,

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला।
सभी थानाध्यक्ष/ओ0पी0अध्यक्ष, मधेपुरा जिला।
अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशुनगंज।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशुनगंज।

मधेपुरा,दिनांक............./07/2014

विषय : National Data Base of Arms Licenses and issuance system for Arms licences के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय के पत्रांक-249/शस्त्र,दिनांक-13.05.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण करें जिसके द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में सभी प्रकार के शस्त्र अनुज्ञप्तियों का Data Base NIC द्वारा विकसित प्रपत्र में तैयार किया जाना है और सभी अनुज्ञप्तिधारियों को दिनांक-01-10-2015 के पूर्व एक विशिष्ट संख्या (Unique Number) आवंटित किया जाना है। उक्त तिथि के बाद बिना विशिष्ट संख्या के कोई भी अनुज्ञप्ति वैद्य नहीं होगी। अनुज्ञप्तिधारियों के Database को तैयार करने हेतु चार तरह के विहित प्रपत्र तैयार किये गये है, जो निम्नवत् है :-

फार्म-1 - मधेपुरा जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

फार्म-2 - मधेपुरा जिला से बाहर के अनुज्ञप्तिधारी जो मधेपुरा जिला के O.D. पंजी में पंजीकृत है।

फार्म-3- Sporting Weapon के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

फार्म-4- संस्थान के नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

अंकनीय है कि अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा सभी सूचनाऐं विहित प्रपत्र में पूर्ण एवं शुद्ध रूप से दिनांक-31.07.2014 तक निश्चित रूप से भरकर जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा कर देना है एवं पावती रसीद प्राप्त कर लेना है। विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाऐं फैक्स /ई-मेल /डाक से स्वीकार्य नहीं होंगी बल्कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से व्यक्तिगत रूप में ही प्राप्त की जाएंगी। विहित प्रपत्र के साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की छायाप्रति एवं अनुज्ञप्तिधारी का एक अद्यतन फोटो भी संलग्न किया जाना है। निर्धारित तिथि तक प्रपत्र नहीं भरने वाले अनुज्ञप्तिधारियों का डाटावेश तैयार नहीं हो सकेगा और उनकी अनुज्ञप्ति दिनांक 30.08.2014 से अवैध हो जाएगी, जिसके लिए वे पूर्णतया जिम्मेवार होंगे।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में पुनः विहित प्रपत्र की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को उक्त विषय वस्तु से विभिन्न माध्यमों से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन
Sd/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....280...../श0, मधेपुरा, दिनांक....18..../07/2014

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को विहित प्रपत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को राज्य के सभी मुख्य समाचार पत्र में लगातार दो दिनों तक प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18/07/14
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।